कार्यालय–निदेशक, माध्यमिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर

क्रमांक : शिविरा–माध्य/मा–स/विविध(25)/वो–3/2023/ दिनांक : As in E-Sign

समस्त संस्था प्रधान,
राउमावि/बाउमावि
राउप्रावि/राबाउप्रापि/राप्रावि

विषय :– विद्यालय समयावधि में मोबाईल फोन के नियन्त्रित उपयोग के सम्बन्ध में।
प्रसंग :– इस कार्यालय का परिपत्र दिनांक : 04.05.2024

उपर्युक्त विषयान्तर्गत सन्दर्भित परिपत्र के माध्यम से इस कार्यालय द्वारा जारी पूर्व निर्देश पत्रों के अनुवर्तन में सम–सामयिक आवश्यकताओं एवं अपेक्षाओं को समाहित करते हुए शिक्षण संस्थाओं में मोबाईल फोन के उपयोग से कक्षा की अध्ययन प्रक्रिया बाधित ना हो, उसकी एकाग्रता में अनावश्यक विघ्न ना आए। अतः दिशा–निर्देश का दोहरान कर निर्बाध अधिगम निरन्तरता को दृष्टिगत की उक्त की पालना सुनिश्चित किये जाने बाबत लिखा गया।

सन्दर्भित परिपत्र के माध्यम से जारी दिशा–निर्देशों की अन्यथा अर्थ में व्याख्या करने की जानकारी भी प्राप्त हुई है , जो परिपत्र की मंशा के विपरित है। अतः उक्त परिपत्र द्वारा जारी दिशा–निर्देशों के सम्बन्ध में स्पष्ट किया जाता है कि :–

- परिपत्र के बिन्दु संख्या 02 में स्पष्ट उल्लेख है कि "विद्यालयों में कक्षा अध्यापन के दौरान शिक्षक के मोबाईल की अचानक बजी घंटी, जारी अध्ययन की निरन्तरता में व्यवधान उत्पन्न करती है।"

  अतः इस सम्बन्ध में विभाग की मंशा कक्षा–कक्ष शिक्षण/अध्ययन–अध्यापन की प्रक्रिया के प्रवाह को बाधित न होकर, करवाये जा रहे अध्ययन–अध्यापन को निरन्तर निर्बाध एवं प्रभावी बनाने की है।
- इसी परिपत्र में यह भी उल्लेखित किया गया है कि डिजिटल शिक्षण के लिए मोबाईल का उपयोग अध्ययन अध्यापन के लिए हो"
- सन्दर्भित परिपत्र के माध्यम से विद्यालय में कक्षा–शिक्षण प्रक्रिया के दौरान मोबाईल का उपयोग नहीं करने की शिक्षकों से अपेक्षा की गई है और यही भी अपेक्षा की गयी है कि शिक्षक उक्त की पालना कर, अपना सहयोग प्रदान करेंगे।

उल्लिखितानुसार सन्दर्भित पत्र के क्रम में स्पष्ट किया जाता है कि विभागीय समन्वय तथा संचालन के उद्देश्य से विद्यार्थी एवं विभागीय हित में निर्देर्शित कार्य मोबाईल के माध्यम से पूर्व दके भांति किए जाने हैं , इन पर प्रतिबंध नहीं है। विद्यालय में मोबाईल के नियन्त्रित उपयोग प्रार्थना सभा अथवा अन्य कार्यक्रम की गरीमा बनाऐ रखने, निर्बाध कक्षा शिक्षण की मंशा से है।

अतः अधोहस्ताक्षरकर्त्ता द्वारा अपेक्षा की जाती है कि आप विभागीय समन्वय तथा अन्य महत्वपूर्ण कार्यक्रम/गतिविधियों से सम्बन्धित प्रविष्टियों के सम्बन्ध में मोबाईल का उपयोग करते हुए ध्यान रखें कि इन कार्यक्रमों का संचालन बाधित ना हो और कक्षा शिक्षण भी निर्बाध हो।

(आशीष मोदी)
आई.ए.एस.
निदेशक
माध्यमिक शिक्षा राजस्थान

RajKaj Ref
9638278

बीकानेर

प्रतिलिपि : निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1. विशिष्ट सहायक, कार्यालय मंत्री, शिक्षा (विद्यालय/संस्कृत) विभाग एवं पंचायती राज विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर।
2. निजी सचिव, शासन सचिव, स्कूल शिक्षा, जयपुर।
3. निजी सचिव, परियोजना निदेशक, समग्र शिक्षा राजस्थान, जयपुर
4. निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर।
5. समस्त संभागीय संयुक्त निदेशक स्कूल शिक्षा।
6. समस्त मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी एवं पदेन जिला परियोजना समन्वयक, समग्र शिक्षा (जरिये ई–मेल)।
7. समस्त जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय)–माध्यमिक को पालनार्थ। (जरिये ई–मेल)।
8. समस्त मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी एवं ब्लॉक सन्दर्भ केन्द्र प्रभारी, समग्र शिक्षा (जरिये ई–मेल)।
9. समस्त पीईईओ/यूसीईईओ।
10. रक्षित पत्रावली।

निदेशक
माध्यमिक शिक्षा राजस्थान
बीकानेर

RajKaj Ref
9638278

Signature Not Verified
Digitally Signed by Ashish Modi
Designation : Director
Date :13-08-2024 02:53:27